SUBJECT INDEX

1. Short Title, extent and commencement

2. Definitions

3. Prohibition of act of violence

4. Cognizance of offences

5. Provision of punishment

6. Compensation for damage of property

7. Medical Ethical Compliance by the Doctors and Medicare Service Institutions and disclosure of complete information with regard to the treatment of patient

8. Security of persons and institutions connected with Medicare service

9. Power to make Rules

10. Power to remove difficulties

11. Non-derogation of the Act of any other law

Jharkhand Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of violence and Damage to Property) Bill, 2023

Preamble

An Act to prohibit violence against Medicare service personnel and damage to property in Medical service institutions and for matters connected herewith and incidental thereto is not available in Jharkhand.

Whereas it is expedient to prohibit violence against Medical service personnel and damage to property in Medicare service institution and for matters connected therewith and incidental thereto;

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the 74th year of the Republic of India as follows:-

2. **Short Title, extent and commencement** :-

(1) This Act may be called as the Jharkhand Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2023.

(2) It extends to the whole of State of Jharkhand.

(3) This Act is being enacted to prevent the incidents of acts of violence to Medicare Services Persons and damage to property of Medicare Service Institutions (Government & Private)

(4) This Act will apply to all Government Institutes and authorized/ registered Private Institutions, which provide Medical Services under prevailing Rules and Act.

(5) This will be applicable from the date of issue of notification.

2. **Definitions**:-

(a) "Medicare Service" means the act of providing medical treatment and/or care, including antenatal and postnatal care in connection with child birth or anything connected therewith, or nursing care in any form to, persons suffering from sickness, injury or infirmities, whether of body or mind;

(b) "Medicare Service Institutions" means all institutions registered under Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010, as amended from time to time, including Medical Colleges, as well as all such institutions providing Medicare Services to the people, which are established and managed by, or under the control of, the State Government or Central Government or any local authority. It includes the

private hospitals, private nursing homes, maternity homes etc. providing indoor and outdoor Medicare facility to the persons suffering from sickness, injury or infirmities whether body or mind ;

(c) "Medicare Service Person" in relation to Medicare Service Institution, means :

(i) Registered Medical Practitioners (including provisional registration holders), working in Medicare Service Institutions.

(ii) Registered Nurses.

(iii) Medical Students.

(iv) Nursing Students.

(v) Para-Medical workers, appointed and working in Medicare Service Institutions.

(vi) Any person working in such Medicare Service Institutions.

(d) "Violence" means any act which causes or may cause any harm, injury or endanger the life, intimidation, threats, obstruction or hindrance to any Medicare service person in discharge of duty and damage to property of the Medicare Service Institution.

(e) "Offender" means such person, who either by himself or as a representative or member of a group/organization commits or attempts to commit or incites the commission of violence under this Ordinance.

(f) "Patients and their attendants" means indoor/outdoor patients and their attendants (including friends and well-wishers) coming for Medicare services/facilities in Medicare Service Institutions.

(g) "Competent Court" means first class Judicial Magistrate in whose jurisdiction offence has been committed.

(h) "Deputy Commissioner" means Executive head of the District.

(i) "Property" means movable or immovable Property.

(j) "Technical Committee" means the committee constituted of technical experts to estimate the damage to property caused by violence.

3. **Prohibition of act of violence** :-

All the acts of violence against the Medicare Service Persons or act of violence by the Medicare Service Persons, including obstruction in discharge of duties, damage/loss to property of Medicare Service Institutions are prohibited.

4. **Cognizance of offences** :-

An offence punishable under Section-3 shall be cognizable and the provisions under CrPC Rule 41A will be followed, which will be investigated by the Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police. Trial of offence will be carried out by competent court.

5. **Provision of punishment** :-

(1) Any person or persons, who commits violence against Medicare Service Persons or damage to property of Medicare Service Institutions in contravention of Section-3, shall be punishable with imprisonment for a period of maximum Two years and fine, which may extend to fifty thousand rupees.

(2) Such offence shall be cognizable and the provisions under CrPC Rule 41A will be followed.

6. **Compensation for damage of property**:-

(1) In addition to the punishment specified in Section-5, the Court while passing of the order may pass an order against the offender to pay compensation in terms of penalty of the cost price of the damages to the Medicare Service Institution, as also clarified in the said order.

(2) If the offender does not pay the said compensation, the said amount will be recovered under the Public Demand Recovery Act and duly paid to the concerned Medicare service Institution.

(3) If damage/loss has been caused to property of Government Medicare Service Institution, the Deputy Commissioner of the district shall constitute a competent Technical Committee comprising of competent government engineers,

government doctors and experts of medical equipment as special invitees. Such Technical Committee shall visit the site to physically assess the damage/loss to such property of Medicare Service Institution and shall make an assessment in front of all stake holders as far as possible, for which due notice shall be given to all such stake holders.

(4) The Technical Committee shall submit its report to the Deputy Commissioner within a period of 15 days after inspection of the premises of the concern Medicare Service Institution.

(5) On the basis of the report submitted by the Technical Committee, the In-charge of the concerned Medicare Service Institution shall take appropriate steps to recover the amount of aforesaid damages/public loss under the Public Demand Recovery Act.

7. **Medical Ethical Compliance by the Doctors and Medicare Service Institutions and disclosure of complete information with regard to the treatment of patient:-**

(1) It is the responsibility of the Doctors and Medicare Service Institution to provide complete information in writing in a transparent manner to the Indoor and Outdoor patients or attendants with regard to the treatment given or to be given to the patients.

(2) All the Medicare Service Institutions will clearly display at various places in its premises visible to public, the medical facilities available at that Institution and the estimated expenses for the same.

(3) All Doctors and Medicare Service Institutions shall ensure compliance of medical ethics prescribed by the National Medical Commission while providing medical facilities to the patients or persons coming to get medical facilities and shall provide primary treatment to all trauma/accidental patients.

(4) It shall be ensured that the dead body of the patients, who die during the treatment, are handed over to their attendants for last rites without waiting for payment of medical bill. For payment of pending claims, action according to laws/rules will be taken by the Doctors and Medical Service Institution.

(5) Action will be taken for suspension of registration of the concerned Medicare Service Institution on violation of the aforesaid provisions and for action against Medicare Service Personnel recommendation shall be made to the Competent Authority.

(6) In case of a complaint filed for misbehavior or wrong treatment by the doctor or the Medicare Service Institutions, the Deputy Commissioner of the district shall constitute an enquiry to be conducted by an officer not below the rank of Sub Divisional Officer.

The enquiry shall be conducted in a transparent manner intimating all the stake holder regarding the place, date and time of conducting such enquiry in the presence of at least two independent witnesses.

The enquire report shall be submitted within 15 days of constitute of such enquiry.

The Deputy Commissioner shall take appropriate decision on the basis of such enquiry report as per the relevant provision of the Clinical establishment Act-2010 as amended from time to time.

8. **Security of persons and institutions connected with Medicare service:-**

(1) The Medicare Service institutions will ensure the arrangement of CCTV cameras in the premises and deployment of security team at sensitive places.

(2) Medicare service institutions shall ensure availability of centralized control room for monitoring and prompt action.

(3) Access into the premises of the Medicare Services Institute will always be controlled and restricted.

(4) Prompt action will be ensured on the case by registering an institutional FIR against the person and group, who committed violence.

(5) All Medicare service institutions and police stations shall display the laws relating to the prevention of violence against persons connected with medical services and the protection of the property of the Medicare institution at visible places in the premises.

(6) Deputy Commissioner shall appoint a doctor not below the rank of Additional Chief Medical Officer as the nodal officer to monitor the negligence in medical treatment.

(7) The infrastructure of the Medicare service institution should be as per the Indian Public Health Standards (IPHS).

9. **Power to make Rules:-**

The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

10. **Power to remove difficulties:-**

If any difficulty arise in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty.

11. **Non-derogation of the Act of any other law:-**

The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law, for the time being in force.

Statement of Objects and Reasons

There is no specific legislation in Jharkhand to prevent violence against Medicare Service Personnel and damage to property of Medicare Service Institutions as well as matters connected therewith or incidental thereto. Hence enactment of Jharkhand Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property Act 2023) is need of the hour. The purpose of this Bill is to achieve the above mentioned objectives through its enactment.

(Banna Gupta)
Member-In-charge

JGPR (Law) 27(B)--50--18-3-2023.

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. हिंसक कृत्यों का निषेध
4. अपराध का संज्ञान
5. दण्ड का प्रावधान
6. सम्पत्ति नुकसान की भरपाई
7. चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों द्वारा चिकित्सा नैतिकता का पालन करना तथा रोगी की चिकित्सा से संबंधित पूरी जानकारी का प्रकटीकरणः
8. चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थान की सुरक्षा
9. नियम बनाने की शक्ति
10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
11. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान, (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023

प्रस्तावना

चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की प्रवृत्ति रोकने तथा उससे संबद्ध और अनुषांगिक विषयों पर सम्प्रति कोई अधिनियम नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार झारखण्ड राज्य में चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की प्रवृत्ति रोकने तथा उससे संगत और अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु निम्न अधिनियम बनाते हैं:-

झारखण्ड के राज्य विधान-सभा द्वारा भारत गणराज्य के 74 वें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,:

1. संक्षित नाम,विस्तार एवं प्रारंभ :-

(1) इस अधिनियम को झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) विधेयक , 2023 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) की सम्पति को नुकसान पहुँचाने संबंधी घटनाओं की रोक-थाम करने के निमित्त प्राख्यापित किया जा रहा है।

(4) यह अधिनियम उन सभी सरकारी संस्थानों एवं अधिकृत/निबंधित निजी संस्थानों पर लागू होगा जो प्रचलित नियमो और अधिनियम के तहत चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं।

(5) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. <u>परिभाषाएँ :-</u>

(क) "चिकित्सा सेवा" से अभिप्रेत है चिकित्सा सेवा प्रदान करना एवं रोगियों की सेवा करना एवं बच्चे के जन्म के संदर्भ में जन्म के पूर्व एवं जन्म के बाद की देखभाल एवं उससे संबद्ध अथवा बीमारी, चोट, शारीरिक अथवा मानसिक असक्त व्यक्ति को दी जाने वाली नर्सिंग सेवा ।

(ख) "चिकित्सा सेवा संस्थान" से अभिप्रेत है नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010, इसमें समय समय पर होने वाले संशोधन के अधीन निबंधित चिकित्सा महाविद्यालय सहित ऐसी समस्त संस्थाएँ जो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा स्थानीय निकाय आदि के द्वारा स्थापित, प्रबंधित अथवा इनके नियंत्रणाधीन हो एवं जनता को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करा रही हो। इसमें बीमारी, चोट, शारीरिक अथवा मानसिक अशक्त व्यक्तियों को अंतः वासी एवं बर्हिवासी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले अस्पताल, निजी नर्सिंग होम, प्रसूति गृह आदि सम्मिलित है ।

(ग) चिकित्सा सेवा संस्थानों के संबंध में "चिकित्सा सेवा व्यक्ति" से अभिप्रेत :-

(i) पंजीकृत चिकित्सा प्रदाता (Registered Medical Practitioner) (औपबंधिक रूप से पंजीकृत सहित) जो चिकित्सा सेवा संस्थानों में कार्यरत हो,

(ii) पंजीकृत परिचारिकाएँ (Registered Nurses)

(iii) मेडिकल छात्र-छात्राएँ (Medical Students)

(iv) नर्सिंग छात्र-छात्राएँ (Nursing Students)

(v) चिकित्सा सेवा संस्थानों में नियुक्त एवं कार्यरत सह चिकित्सीय (Para Medical) कर्मी,

(vi) चिकित्सा सेवा संस्थानों में कार्यरत अन्य कोई व्यक्ति।

(घ) "हिंसा" से अभिप्रेत है, चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों को क्षति, जख्मी अथवा जान जोखिम में डालने संबंधी कृत्य एवं इसमें संबद्ध व्यक्तियों का अभित्रास, उन्हें कार्य सम्पादन में रूकावट पहुचाने की कार्रवाई सहित चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।

(ङ) "अपराधी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जो स्वयं अथवा एक समूह/संगठन के सदस्य अथवा प्रतिनिधित्व करने वाला के द्वारा हिंसक कार्रवाई किया

जाता है अथवा प्रयास किया जाता है अथवा ऐसा कार्य करने हेतु दूसरे को उकसाता है।

(च) "रोगी एवं उनके परिजन" से अभिप्रेत है, चिकित्सा सेवा संस्थानों में चिकित्सा सेवा/सुविधा प्राप्त करने हेतु आये बर्हिवासी/ अर्न्तवासी रोगी एवं उनके परिजन (मित्र-शुभचिंतक सहित)।

(छ) "सक्षम न्यायालय" से अभिप्रेत है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया।

(ज) "उपायुक्त" से अभिप्रेत है, जिला का कार्यकारी प्रमुख ।

(झ) "सम्पति" से अभिप्रेत है, चल या अचल सम्पति ।

(ञ) "तकनिकी समिति" से अभिप्रेत है, हिंसा में हुये संपत्ति का नुकसान के अनुमान के लिए तकनिकी विशेषज्ञों की गठित समिति ।

3. <u>हिंसक कृत्यों का निषेध:-</u>

चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा अथवा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा हिंसा, चिकित्सा सेवा अवरूद्ध करने सहित, चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पति को नुकसान/क्षति पहुँचाने संबंधी कोई कार्य निषिद्ध होगा।

4. <u>अपराध का संज्ञान:-</u>

धारा-3 के अधीन किया गया कोई अपराध संज्ञेय होगा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम-41 ए के प्रावधान का अनुपालन किया जायेगा। जिसका अनुसंधान आरक्षी उपाधीक्षक स्तर से अन्यून पदाधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी। अपराध का विचारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

5. <u>दण्ड का प्रावधान:-</u>

(1) धारा-3 का उल्लंघन कर चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसक कार्रवाई अथवा किसी चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पति को नुकसान/क्षति पहुचाने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कारावास, जो अधिकतम दो वर्ष तक हो सकेगा एवं जुर्माना, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जा सकेगा।

(2) ऐसा अपराध संज्ञेय होगा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम-41 ए के प्रावधान का अनुपालन किया जायेगा।

6. **सम्पत्ति नुकसान की भरपाई:-**

(1) धारा-5 में प्रावधानित दण्डों के अतिरिक्त, न्यायालय, न्याय निर्णय पारित करते समय अपराधी व्यक्ति को चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पत्ति की नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में लागत मूल्य की राशि, जिसे न्याय निर्णय में स्पष्ट किया जायेगा, का भुगतान करने का आदेश दे सकेगा।

(2) अपराधी यदि उक्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करते है तो राशि Public Demand Recovery Act के तहत वसूला जा सकेगा एवं संबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान को विधिवत भुगतान किया जाएगा ।

(3) यदि सरकारी चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पति को नुकसान/हानि हुआ है, तो जिले के उपायुक्त, सरकारी सेवा में कार्यरत अभियंताओ, सरकारी चिकित्सको तथा चिकित्सीय उपकरणों के जानकार विशेषज्ञों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करते हुए सक्षम तकनीकी समिति का गठन करेंगे । ऐसी तकनीकी समिति चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पति के नुकसान/हानि का भौतिक रूप से आकलन करने के लिए स्थल का दौरा करेगी और जहाँ तक संभव हो सभी हितधारकों के सामने आकलन करेगी, जिसके लिए ऐसे सभी हितधारकों को उचित नोटिस दिया जाएगा।

(4) तकनीकी समिति संबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान के परिसरों के निरीक्षण के बाद 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को प्रस्तुत करेगी।

(5) तकनीकी टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान के प्रभारी सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत उपरोक्त क्षति/ हानि की राशि की वसूली के लिये उचित कदम उठाएंगे।

7. **चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों द्वारा चिकित्सा नैतिकता का पालन करना तथा रोगी की चिकित्सा से संबंधित पूरी जानकारी का प्रकटीकरणः-**

(1) चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों का दायित्व होगा कि वे बहिंवासी/ अर्न्तवासी रोगी को दी जानेवाली या दी गयी चिकित्सा से संबंधित सम्पूर्ण सूचना लिखित रूप में पारदर्शी तरीके से रोगी अथवा उनके परिजनों को उपलब्ध करायेंगे।

(2) प्रत्येक चिकित्सा सेवा संस्थान अपने यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधा तथा उसपर आने वाले अनुमानित व्यय के संबंध में जनता को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपने परिसर के दृश्यमान जगह पर प्रदर्शित करेंगे ।

(3) चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थाएँ यह सुनिश्चित करेंगे कि वे रोगियों अथवा चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु उनके पास आये व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा प्रावधानित चिकित्सा नैतिकता का पालन करेंगे तथा आकस्मिक दुर्घटना मरीजों का प्राथमिक उपचार अनिवार्य रूप से करेंगे।

(4) चिकित्सा के क्रम में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मृत-शरीर चिकित्सा बिल भुगतान की प्रतीक्षा किए बिना अंतिम संस्कार हेतु सुपूर्द किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। दावे के भुगतान हेतु चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थान द्वारा यथा नियम कार्रवाई की जा सकेगी।

(5) उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान के निबंधन को निलंबित करने की कार्रवाई की जायेगी तथा चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा की जायेगी।

(6) चिकित्सक या चिकित्सा सेवा संस्थानों द्वारा दुर्वयवहार या गलत इलाज के लिये दर्ज की गई शिकायत के मामले में , जिले के उपायुक्त एक ऐसे अधिकारी द्वारा जाँच का गठन करेंगे जो अनुमंडल पदाधिकारी के पद से अनुन्य ना हो ।

इस तरह की जाँच करने हेतु सभी हितधारको को स्थान, तारीख और समय के बारे में सूचित करते हुए कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जाँच पारदर्शी तरीके से की जाएगी ।

ऐसी जाँच के गठन के 15 दिनों के भीतर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

उपायुक्त नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010, इसमें समय समय पर होने वाले संशोधन के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार ऐसी जाँच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेंगे ।

8. <u>चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थान की सुरक्षा:-</u>

(1) चिकित्सा सेवा संस्थान परिसर में सी.सी.टी.वी कैमरा की व्यवस्था तथा सवेदनशील जगह पर सुरक्षा टीम की तैनाती सुनिश्चित करेंगे ।

(2) चिकित्सा सेवा संस्थान निगरानी और त्वरित कारवाई हेतु केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ।

(3) चिकित्सा सेवा संस्थान के परिसर में हमेशा प्रवेश को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित किया जाएगा ।

(4) हिंसा करने वाले व्यक्ति एवं समूह के विरुद्ध संस्थागत प्राथमिकी दर्ज कर मामले पर त्वरित कारवाई सुनिश्चित किया जाएगा ।

(5) सभी चिकित्सा सेवा संस्थान एवं थाना में चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियो के विरुद्ध हिंसा को रोकने एवं चिकित्सा संस्थान की सम्पति की अभिरक्षा से संबंधित कानूनों को परिसर के दृश्यमान स्थानों पर प्रदर्शित करेंगे।

(6) उपायुक्त द्वारा चिकित्सा में की गई लापरवाही की निगरानी हेतु अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से अनून्य चिकित्सक को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

(7) चिकित्सा सेवा संस्थान की अवसंरचना भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुरूप होने चाहिए ।

9. <u>नियम बनाने की शक्ति:-</u>

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

10. <u>कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-</u>

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

11. <u>अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना:-</u>

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे इसके अल्पीकरण में न होंगे।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य में चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की प्रवृत्ति रोकने तथा उससे सम्बद्ध और अनुषांगिक विषयों के लिए सम्प्रति कोई अधिनियम नहीं है। इस निमित्त झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) अधिनियम, 2023 को अधिनियमित किया जाना समय की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपरोक्त अधिनियम को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(बन्ना गुप्ता)
भारसाधक सदस्य